अतिमहत्वपूर्ण / स्पीड–पोस्ट

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0,
तृतीय तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

पत्र संख्या : ८ - 318 / बा0वि0परि0 / आं0बा0के0नि0 / 2017–18 दिनांक : 05 जून 2017

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थित शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पंचायतीराज एवं मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0 के पत्र संख्याः 5 / 868 / 2017–5 / 41 / 2017, दिनांक 20 मई 2017(छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आंगनबाडी केन्द्रों पर स्थित शौचालय ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित सामुदायिक परिसम्पत्तियां है जिनकी मरम्मत एवं व्यवस्थित रखरखाव का उत्तर दायित्व भी ग्राम पंचायतों का है। उक्त पत्र में आंगनबाडी केन्द्रों पर स्थित शौचालय की मरम्मत / रखरखाव / जीर्णोद्धार की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त पत्र के पैरा–6 में आंगनबाडी शौचालयों को बच्चों के लिए उपयोगी बनाये जाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है :–

6.1 शौचायल में बेबी फ्रेन्डली पैन का प्रयोग होना चाहिए, ताकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसके प्रयोग में असुविधा न हो।

6.2 शौचालय के अन्दर व बाहर बच्चों को आकर्षित करने हेतु जानवरों व फूलों आदि का चित्रण किया जाय तथा शौचालय को रंगाई–पुताई के साथ आकर्षक बनाया जाय।

6.3 पैन की बगल की दीवार पर हैण्डल लगा होना चाहिए, जिससे यदि बच्चे को डर लगे तो उसे वह पकड़ कर बैठ सकें।

6.4 शौचालय में प्रवेश की सीढ़ी छोटी हो।

6.5 दरवाजे में ऊपर व नीचे दोनों तरफ जाली लगी हो ताकि छोटा बच्चा पैन पर बैठ कर बाहर देख सकें। इसी प्रकार की जाली / खिड़की बगल की दोनों दीवारों पर भी नीचे बनायी जाय। शौचायल में अंधेरा कदापि नही होना चाहिए। दरवाजे में कुण्डी इस प्रकार लगी हो कि आवश्यकता पड़ने पर उसे बाहर से हाथ डालकर भी खोला जा सकें।

6.6 वाशबेसिन की ऊचाई इतनी हो कि बच्चा उस तक आसानी से पहुच सकें तथा नल की टोटी इस प्रकार हो कि बच्चा सुगमतापूर्वक प्रयोग कर सकें।

6.7 शौचालयों में फर्श पर तथा दीवार में 2 फीट तक टाइल्स लगे हो तथा फोर्स लिफ्ट पम्प से रनिंग वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो। नल के साथ मग की भी व्यवस्था हो।

6.8 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा हैंडवाशिंग की प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाय जिससे कुपोषण को नियंत्रित किया जा सकें।

6.9 जो आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय भवनों में संचालित है उनमें मुख्य विकास अधिकारी के समन्वय से जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

6.10 निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में भी शौचालयों का प्रयोग आंगनबाड़ी बच्चों के द्वारा किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी बच्चा खुले में शौच के लिये विवश न हो।

उक्त पत्र के प्रस्तर–7.1 में यह भी उल्लेख किया गया है कि आंगनबाड़ी शौचालयों के दैनिक रखरखाव एवं पर्यवेक्षण, सफाई एवं अन्य उपयोगी सामग्री यथा बाल्टी, मग एवं ब्रश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पुष्टाहार समिति को संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाया जाय।

अतएव सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का सहयोग प्राप्त कर ऐसे आंगनबाड़ी शौचालयों का चिन्हांकन करा लें तथा क्षेत्रीय मुख्य सेविकाएं एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी परियोजना स्तर पर इसका अनुश्रवण करें (ओ0डी0एफ0 ग्रामों में आंगनबाड़ी शौचालयों की चेकलिस्ट संलग्न है)। जिला कार्यक्रम अधिकारी जनपद स्तर पर जिला पंचायतराज अधिकारी के सहयोग से मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन में उपरोक्त कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और 30 जून 2017 तक अनुपालन आख्या मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन : /तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ–

1. सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्रांक 5/868/2017–5/41/2017 दिनांक 20 मई 2017 के क्रम में सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक

प्रेषक,

निदेशक, पंचायतीराज एवं
मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3–समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

259
25-5-017

संख्या:5 / 868 / 2017–5 / 41 / 2017 लखनऊ दिनांक: 20 मई, 2017

विषय: चौदहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि से आंगनबाड़ी शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कृपया 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धातों के निर्धारण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या: 234 / 33–2016–2 / 2016 दिनांक 18.02.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

14वें वित्त आयोग से संबंधित अनुदान के प्राविधान

1. उक्त शासनादेश के प्रस्तर(i) में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों को आबंटित धनराशि उनके क्षेत्रान्तर्गत मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल सुविधाओं एवं स्वच्छता सुविधाओं आदि के निर्माण / रखरखाव पर व्यय किया जा सकता है। शासनादेश के प्रस्तर(ii) में यह भी उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों को आवंटित की जाने वाली धनराशि को ग्राम पंचायतें उन मदों पर व्यय करेंगी जो नागरिकों के लिए आवश्यक मूलभूत सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए वांछित हो तथा ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 73वें संविधान संशोधन के पश्चात संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित हो तथा जिनका प्रतिनिधायन ग्राम पंचायतों को किया गया है। उल्लेखनीय है कि 11वीं अनुसूची में प्राविधानित ग्रामीण स्वच्छता एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों के रखरखाव का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है।

ADO/DNS
25-05-2017

राज्य वित्त आयोग से संबंधित अनुदान के प्राविधान

2. उक्त के अतिरिक्त चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि के उपभोग हेतु निर्गत शासनादेश संख्या: 1639 / 33–3–2015–03 / 2015 दिनांक 19.06.2015 के प्रस्तर–2(2.1) में यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों द्वारा प्रति वर्ष सक्रमण की 50 प्रतिशत तक की धनराशि को ग्राम पंचायत की पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों के समुचित रख–रखाव के लिए उपयोग में लाया जायेगा।

आंगनबाडी केन्दों में शौचालयों की स्थिति एवं मरम्मत की आवश्यकता

3 ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध अधिकांश आंगनबाडी केन्द्रों में शौचालय तो उपलब्ध हैं परन्तु बच्चों के उपयोगार्थ बेबी फ्रेन्डली शौचालयों का अभाव है जिसके कारण 06 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शौचालयों का पयोग सुविधापूर्वक नहीं कर पाते है। उल्लेखनीय है कि बच्चों में स्वच्छ आदतों के विकास हेतु वाल्यावस्था से ही उनको स्वच्छ व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करना चाहिये जिसमें शौचलाय का प्रयोग अति आवश्यक है।

4. आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्थित शौचालय ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित सामुदायिक परिसम्पत्तिया हैं जिनकी मरम्मत एवं व्यवस्थित रखरखाव का

उत्तरदायित्व भी ग्राम पंचायतों का है। अतः ग्राम पंचायतों में स्थित आंगनबाड़ी शाचालयों की मरम्मत एवं आवश्यक रखरखाव करने एवं प्रस्तर–4 के अनुरूप बेबी फ्रेन्डली शौचालयों की व्यवस्था किये जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

कार्ययोजना एवं एम.आई.एस. द्वारा अनुश्रवण

5. आंगनबाड़ी शौचालयों की मरम्मत / रखरखाव / जीर्णोद्धार की कार्ययोजना को गाइडलाइन्स के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करने एवं एम.आई.एस. द्वारा अनुश्रवण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगीः–

5.1 शासन द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है। इस क्रम में शासनादेश संख्या–2618 / 33 –3–2015–10जी.आई. / 2015 दिनांक 29.09.2015 द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति द्वारा आंगनबाडी शौचालयों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा कर उसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम पंचायतों को यह सलाह दिया जाना उचित होगा कि राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग की धनराशि से आंगनबाड़ी शौचालयों की मरम्मत ,जीर्णोद्धार के कार्य को निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 की ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित किया जाए तथा कार्ययोजना को प्लानप्लस साफ्टवेयर पर फीड कराते हुए आनलाइन प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए। चूंकि शासनादेश संख्या–3 / 2016 / 2038 / 33–1–2016 दिनांक 22.11.2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत रू0–2.00 लाख तक की लागत के कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार ग्राम सभाओं में निहित है अतः इस लागत तक के कार्य की स्वीकृति पूर्ण रूप से ग्राम सभा की बैठक में की जायेगी।

5.2 प्लान प्लस एप्लीकेशन से स्वीकृत कार्ययोजना एक्शन साफ्ट पर आनलाइन पोर्ट की जाएगी तथा कार्य के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि एवं कार्यो की प्राथमिकतानुसार मैपिंग एक्शन साफ्ट पर किया जाएगा तथा इस कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति फीड की जाएगी।

5.3 इस प्रकार व्यय की गई धनराशि के बाउचर फीडिंग का कार्य प्रिया साफ्ट पर वर्क आई.डी. के सापेक्ष आनलाइन किया जाएगा।

5.4 आंगनबाड़ी शौचालय के मरम्मत के कार्य की भौतिक प्रगति दर्शाने हेतु नेशनल एसेट डाइरेक्टरी पर फीड कर स्थिति का अक्षांश–देशांश मैप किया जाना अनिवार्य होगा।

आंगनबाड़ी शौचालयों में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएः–

6. आंगनबाडी शौचालयों को बच्चों के लिए उपयोगी बनाये जाने के उद्देश्य से उसमें निम्नलिखित सुविधाऐं उपलब्ध करायी जायेंगीः–

6.1 शौचालय में बेबी फ्रेन्डली पैन का प्रयोग होना चाहिए, ताकि 6 वर्ष के कम के बच्चो को इसके प्रयोग में असुविधा न हो।

6.2 शौचालय के अन्दर व बाहर बच्चों को आकर्षित करने हेतु जानवरों व फूलों आदि का चित्रण किया जाय तथा शौचालय को रंगाई–पुताई के साथ आकर्षक बनाया जाय।

6.3 पैन की बगल की दीवाल पर हैण्डिल लगा होना चाहिए, जिससे यदि बच्चे को डर लगे तो उसे वह पकड़ कर बैठ सके।

6.4 शौचालय में प्रवेश की सीढ़ी छोटी हो।

6.5 दरवाजे में ऊपर व नीचे दोनों तरफ जाली लगी हो ताकि छोटा बच्चा

पैन पर बैठकर बाहर देख सके, इससे उस पर भय नहीं होगा। इसी प्रकार की जाली/खिड़की बगल की दोनो दीवारों पर भी नीचे बनायी जाय। शौचालय में अंधेरा कदापि नही होना चाहिए। शौचालय के दरवाजों में कुण्डी इस प्रकार लगी हो कि आवश्यकता पड़ने पर उसे बाहर से हाथ डालकर भी खोला जा सके।

6.6 वाशबेसिन की ऊचाई इतनी हो कि बच्चा उस तक आसानी से पहुच सके तथा नल की टोटी भी इस प्रकार की हो कि उसे बच्चा सुगमता पूर्वक प्रयोग कर सके।

6.7 शौचालयों में फर्श पर तथा दीवाल में 2 फीट तक टाइल्स लगे हों तथा फोर्स लिफ्ट पम्प से रनिंग वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो। नल के साथ मग की भी व्यवस्था हो।

6.8 आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा हैंडवाशिंग की प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जाय, जिससे कुपोषण को नियंत्रित किया जा सके।

6.9 जो आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालय भवनों मे संचालित है, उनमें मुख्य विकास अधिकारी के समन्वय से जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

6.10 निजी भवनों में संचालित आगनबाड़ी केन्द्रों में भी शौचालयों का प्रयोग आंगनबाड़ी बच्चों द्वारा किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी बच्चा खुले में शौच के लिए विवश न हो।

6.11 आंगनबाड़ी शौचालयों के निर्माण/मरम्मत/जीर्णोद्वार हेतु स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के आई.ई.सी. मद से राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कराया जा सकता है।

6.12 आंगनबाड़ी शौचालयों के सम्बन्ध में यूनीसेफ के सहयोग से पंचायतीराज निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी सन्दर्भ पुस्तिका को ध्यान में रख कर मरम्मत/जीर्णोद्वार का कार्य कराया जाये।

आगनबाड़ी शौचालयों की साफ–सफाई एवं रखरखाव

7. शासनादेश संख्या–2618/33–3– 2015–10जी.आई./2015 दिनांक 29.09. 2015 द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति द्वारा आगनबाड़ी शौचालयों के रखरखाव एवं साफ–सफाई के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगीः–

7.1 आगनबाड़ी शौचालयों के दैनिक रखरखाव व पर्यवेक्षण, सफाई एवं अन्य उपयोगी सामग्री यथा बाल्टी, मग एवं ब्रश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्राम स्वास्थ्य एवं पुष्टाहार समिति को संयुक्त रूप से उत्तरदायी बनाया जाये।

अनुश्रवण एवं सत्यापन

8. आगनबाड़ी शौचालयों की मरम्मत एवं रखरखाव के प्रभावी अनुश्रवण के दृष्टिकोण से जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

8.1 प्रस्तर–6 में उल्लखित सभी कार्य आंगनबाड़ी कार्यकत्री, पंचायत सचिव, एवं ग्राम प्रधान द्वारा अभियान चलाकर पूर्ण कराया जाए।

8.2 अभियान को अपेक्षित गति प्रदान करने एवं आंगनबाड़ी केन्द्रवार प्रगति का अनुश्रवण करने हेतु जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के नियंत्रण एवं निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये।

8.3 विकास खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाईजरों को भी आगनबाड़ी शौचालयों के व्यवस्थित रखरखाव के प्रभावी

अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी बनाया जाये।

8.4 सर्व प्रथम खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों/ग्रामों में स्थित आंगनबाड़ी शौचालयों का संलग्न चेकलिस्ट के आधार पर सुपरवाईजर से सत्यापन कराकर यदि कोई कमी पाई जाए तो उसे 15 दिन में ठीक करा लिया जाए।

8.5 अन्य ग्राम पंचायतों/ग्रामों में स्थित आगनवाड़ी शौचालयों का सत्यापन भी संलग्न चेकलिस्ट के आधार पर कराकर यदि कोई कमी पायी जाये तो उसे 31 जुलाई, 2017 तक ठीक करा लिया जाये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: 1. बालमैत्रिक शौचालय सन्दर्भ पुस्तिका।
2. चेकलिस्ट।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक पंचायतीराज/मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्याः 5/868/(1)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश
3–निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ.प्र.।
4.–समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उत्तर प्रदेश।

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक पंचायतीराज/मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), उ0प्र0।

ओ.डी.एफ. ग्रामों में आंगनबाडी शौचालय के सत्यापन हेतु चेक लिस्ट

जनपद........................ विकास खण्डः .... ग्राम पंचायतः ....

आंगनबाड़ी केन्द्र का नामः ....

क्र.	शौचालय जॉच के बिन्दु	विकल्प
क	बच्चों की संख्या	
	बालक	संख्या
	बालिकाएं	संख्या
	कुल–	संख्या
ख	शौचालय का दरवाजा	
	1. दरवाजा की गुणवत्ता	अ/ख/सा
	2. दरवाजे सिटकनी/कुन्डी की ऊचाई बच्चों के लिए ठीक हैं?	हॉ/नहीं
	3. दरवाजे की कुन्डी को आवश्यकता पड़ने पर बाहर से खोला जा सकता है या नहीं?	हॉ/नहीं
	4. दरवाजे के ऊपर व नीचे जाली लगी है	हॉ/नहीं
ग	राजमिस्त्री का कार्य	
	1. प्लास्टर की गुणवत्ता	अ/ख/सा
	2. पुताई एवं दीवाल पर आकर्षक चित्रकारी है या नहीं?	हॉ/नहीं
	3. दीवाल पर 2 फिट तक तथा फर्श पर टाइल्स लगा है?	हॉ/नहीं
	4. शौचालय के फर्श की ढ़ाल ठीक हैं?	अ/ख/सा
	5. बेबी फ्रेन्डली पैन का प्रयोग है या नहीं?	हॉ/नहीं
	6. पैन दीवाल से 20–25 सेमी दूरी पर लगा है?	हॉ/नहीं
	7. पैन क बगल की दीवाल पर बच्चों के उपयोगार्थ हैंडल लगा है या नहीं?	हॉ/नहीं
	8. जंक्शन चैम्बर सही बना है या नहीं?	हॉ/नहीं
	9. शौचालय प्रवेश की सीढ़ी छोटी एवं बाल उपयोगी है या नहीं?	हॉ/नहीं
	10. लीचिंग पिट की गुणवत्ता	अ/ख/सा
	11. छत निर्माण की गुणवत्ता	अ/ख/सा
घ	अन्य सुविधाए	
	1. फोर्स लिफ्ट हैण्डपम्प द्वारा जल भण्डारण की व्यवस्था उपलब्ध है?	हॉ/नहीं
	2. क्या टंकी ढकी है?	हॉ/नहीं
	3. शौचालय में जलापूर्ति है?	हॉ/नहीं
	4. क्या वाशबेसिन है?	हॉ/नहीं
	5. वाशबेसिन की ऊचाई बच्चों के हिसाब से ठीक है या नहीं?	हॉ/नहीं
	6. रोशनदान की व्यवस्था कैसी हैं?	अ/ख/सा
ड़	अन्य महत्वूर्ण विवरण	
	1. पेयजल स्रोत से शौचालय गडढे की दूरी	मीटर
	2. क्या शौचालय बेबी फ्रेन्डली है?	हॉ/नहीं
	3. शौचालय प्रयोग में है या नहीं	हॉ/नहीं
	4. शौचालय की सफाई हो रही है या नहीं	हॉ/नहीं

हस्ताक्षर

नाम

सुपरवाईजर ग्राम पंचायत–